



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
 (छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
 कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009
 दूरभाष क्रमांक : (07752) 2130312 फैक्स : (07752) 213073
 www.pssou.ac.in Email : registrar@pssou.ac.in

बिलासपुर, दिनांक ३१/५/२०२१

क्र. 133/शिक्षा/2021

बी.एड. एवं डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की संशोधित तिथि
 (पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./117/शिक्षा दि. 13/04/2021 के परिप्रेक्ष्य में)

दिश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बी.एड.एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। श्री बी.एड.एवं श्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा/परीक्षा आवेदन फार्म प्रक्रिया में समिलित होने हेतु इच्छुक अन्यार्थीयों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं—

- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि
- आवेदन की अंतिम तिथि
- विलम्ब शुल्करुप 200/-—अतिरिक्त के साथ आवेदन की अंतिम तिथि
- प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि
- श्री बी.एड. एवं श्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा मॉडल उत्तर जारी करने एवं दावा आपत्ति प्रस्तुतीकरण की तिथि
- नोट - (उपरोक्त प्रवेश परीक्षा हेतु घोषित की गई तिथि को यदि कोविड महामारी की आपात स्थिति होती है तब इस स्थिति में प्रवेश परीक्षा को निरस्त कर प्राप्त आवेदनों को पूर्व में घोषित द्वितीय चिकल्प अनुसार मेरिट का निर्माण कर प्रवेश हेतु परिणाम घोषित किया जावेगा।)
- परीक्षा परिणाम घोषणा
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि
- 13 अप्रैल 2021 से
- 31 जुलाई (शात्रि 12 बजे तक)
- 01 अगस्त से 15 अगस्त (शात्रि 12 बजे तक)
- 21 अगस्त 2021
- 05 सितम्बर 2021 (सम्भावित)
- 06 सितम्बर 2021 (सम्भावित)
- 10 सितम्बर 2021 (सम्भावित)
- 11 से 15 सितम्बर 2021 दावा (सम्भावित)

आपत्ति Email pssouonline@gmail.com के माध्यम से या विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में स्वयं उपरिष्ठ होकर दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं।
 (आवेदन निर्धारित माध्यम, तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे)

प्रवेश परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सम्भावित तिथि सारणी :-

- परिणाम की घोषणा
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि
- 24 अगस्त 2021 (सम्भावित)
- 25 से 30 अगस्त 2021 दावा (सम्भावित)

आपत्ति Email pssouonline@gmail.com के माध्यम से या विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में स्वयं उपरिष्ठ होकर दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं।
 (आवेदन निर्धारित माध्यम, तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे)
 दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची सूची का प्रकाशन - 07 सितम्बर 2021 (सम्भावित)

Shri Resham Lal Pradhan

In-
PSSOU, Bhopal

VERIFIED

(Signature)

REGISTRAR
 Pt. Sunderlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)

- नोट:- (1) प्रवेश परीक्षा विवरणिका, परीक्षा से सम्बंधित नियम/निर्देश, और लाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़े साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in या www.pssou.online/portal/ पर लाग इन करें।
- (2) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय सभी जानकारीयों को ध्यान पूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरे। क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फार्म है इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फार्म नहीं भराया जायेगा।
- (3) उपरोक्त तिथि समाप्ति है उसमें परिवर्तन सम्भव है।
- (4) परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात् ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जायेगी।
- (5) उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन सम्भव है। निश्चित तिथि एवं अन्तिम विश्वविद्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोन करते रहें।
- (6) वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी को ध्यान रखते हुये शासन द्वारा नियम-निर्देशों का पालन करते हुये प्रवेश परीक्षाओं का आयेजन किया जावेगा।
- (7) यदि कोविड - 19 के कारण बीएड एवं डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती है तो उस परिस्थितियों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अहंकारी परीक्षाओं से प्राप्त अंकों को आधार पर किया जाएगा। प्रावीण्य सूची बनाने के नियम से संबंधित समिति द्वारा प्रवेश मानक अनुमान दिया गया है। जो इस प्रकार है:-

डी.एल.एड. प्रवेश : प्रावीण्य सूची हेतु नियम :-

1. डी.एल.एड. के प्रवेश में न्यूनतम अहर्ता एन.सी.टी.ई. के मानक बनारार 12वीं के आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा।
2. डी.एल.एड. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनमें 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा।
3. 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
4. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम २ वर्ष का अध्यापन अनुबंध प्राप्त हो (अग्ररत 2020 तक २ वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। २ वर्ष के बाद उसे अनुभव होने पर प्रवेश से बंधित किया जायेगा तथा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
5. यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षा के रूप में निरतर कार्यरत होना अनिवार्य है।
6. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/दिक्ळानी तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा रोट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

बी.एड. प्रवेश : प्रावीण्य सूची हेतु नियम :-

1. बी.एड. में प्रवेश हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अंक आपके होगा वही प्रावीण्यता का आधार होगा। अर्थात् यदि अभ्यर्थी ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों दोनों प्राप्त की है, तो जिसमें अधिक अंक प्राप्त किया है उसे प्रावीण्यता का आधार बनाया जाएगा जबकि जो अभ्यर्थी केवल स्नातक हैं उनके स्नातक के अंक ही प्रावीण्य सूची का आधार होगा।

VERIFIED

Deshmukh

Chancellor
In Charge NAAC
PSSOU, CG Deemed
University

- 2 समान अंक होने की स्थिति में उनके 12वीं के अंक को देखा जायेगा।
- 3 12वीं में भी समान अंक होने पर 10वीं कक्षा के अंक को मान्य किया जाएगा।
- 4 10वीं कक्षा में समान अंक होने पर उनके शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा।
- 5 शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा।
- 6 इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रांरबिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई./बी.टी.सी./डी.पी.ई. पूर्ण किया हुआ हो।

अथवा

यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन री.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

- 7 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/विकलांग (एवं अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आवधान राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

22
परीक्षा नियंत्रक

पुक/134/शिक्षा/2021

बिलासपुर, 31/5/2021

प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभावन, रायपुर।
- 2 सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा रांचालनालय, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4 कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ।
- 5 सर्वर यूनिट शाखा प्रभारी को सूचनार्थ।
- 6 परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
- 7 वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
- 8 क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अभिकाम पर को सूचनार्थ।
- 9 प्रभारी.....विभाग को सूचनार्थ।
- 10 संपादक दैनिकको अधिसूचना, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणोंमें समाचारकरण के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 11 वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करे।
- 12 कार्यालय प्रति

22
परीक्षा नियंत्रक

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Page 3 of 10

Dolly
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ

पं. सुन्दरताल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय बी. एड. एवं डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु प्री.बी.एड. एवं प्री.डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा/प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैं-

1. परीक्षा हेतु आवेदन

प्री-बी.एड. एवं प्री-डी.एल.एड. परीक्षा हेतु आवेदन एवं कॉर्जसलिंग रु. 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) के शुल्क के साथ ऑनलाइन भरें जायेंगे। ऑनलाइन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा एवं कॉर्जसलिंग हेतु कैबल ऑनलाइन फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

2. पात्रता -

2.1 बी.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता -

एन.सी.टी.ई. के भानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बी.एड. औ.डी.एल. में प्रवेश पाने के पात्र होंगे -

2.1.1 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा इंजिनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55 प्रतिशत अंक)। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

2.1.2 इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारम्भिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई./बी.टी.सी./डी.पी.ई. पूर्ण किया हुआ हो।
अथवा

यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

2.1.3 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संर्वां के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

Om Prakash
Shri Dinesh Kumar
In Charge
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रवेश परीक्षा/प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से कम आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में दरिगता दी जायेगी।

2.2 डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता -

- पन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे-
- 2.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/विकलांग की स्थिति में कम से कम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12 वीं में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
- 2.2.2 रात्रि ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (15 जून 2021 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। रात्रि ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से बचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 2.2.3 यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।
- 2.2.4 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा-वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

- ✓ परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि डी-बी.एड व डी-डी.एल.एड. कार्यक्रम हेतु पात्र है। डी-बी.एड. व डी-डी.एल.एड. परीक्षा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण-पत्र, छाया-प्रति एवं गूल प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण-पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर रात्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के सभी यहि प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से बचित किया जायेगा। प्रवेश के प्रचयत् यदि कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जायेगा तो उसे निरस्त किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- ✓ अतः अभ्यर्थी अपनी सभी पूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में जाहीं गयी अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरे, चुंकि जापके आवेदन पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुये आगे की प्रक्रिया की जायेगी बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।

3. कार्यक्रम में प्रवेश

- 3.1 बी.एड. कार्यक्रम की 500 सीटों तथा डी.एल.एड. की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (गुक्त) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, नियमानुसार रेंकिंग (Ranking) रूची प्रोत्तित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर प्रदर्शित किये जावेंगे। ऑन-लाइन काऊन्सिलिंग की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जायेगी अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

VERIFIED


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dated:
Shri Resham Lal Dang
AAC Criteria
Date: 2023-06-20 Bilaspur

उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक-सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जायेगी। यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी किया जायेगा।

3.1.1 यदि किसी आपात कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया तब प्रवेश हेतु वि.वि. द्वारा जारी दैक्टिक नियम लागू होंगे तथा उस नियम एवं शर्तों के आधार पर ही अस्थिरियों की रैंकिंग (Ranking) कर प्रावीण सूची जारी की जावेगी।

4. कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र

4.1 वी.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र -

वी.एड. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित वी.एड. कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से संचालित होगा। इस हेतु चयनित छात्र कार्डसिलिंग आवेदन में अपनी सुविधानुसार अध्ययन केन्द्र चुनेंगे। कार्डसिलिंग के दौरान प्रदत्त वी.एड. अध्ययन केन्द्र ही अंतिम होगा। यद्यपि विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि छात्र संख्या नियन्त्रित करने हेतु अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन कर सके। दिये गये निम्न अध्ययन केन्द्रों की संख्या में अपनी सुविधा व समग्रानुसार परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय रखता है।

क्र.	अध्ययन केन्द्र के नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सलखो, नैला-जांजगीर	02
3.	आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास भाटागाँव रोड, दतरेंगा, रायपुर	03
4.	शा. उन्नत शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर	04
5.	भनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग	05
6.	रायल शिक्षा महाविद्यालय, लालबाग, राजनांदगाँव	06
7.	रारस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	07
8.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर	08
9.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	09

उक्त अध्ययन केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

4.2 डी.एल.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	02
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	03
4.	कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा	04
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	05
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	06
7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजिंगीर	07

Prashant

Dr. Prashant Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

8. पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नैला जांजगीर	08
9. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	09
10. जे.व्ही.जी कालेज रायगढ़	10
11. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	11
12. विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	12
13. महात्मा गांधी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	13
14. मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	14
15. श्री शंकराचार्य शिक्षा महाविद्यालय जुनवानी भिलाई	15
16. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी	16
17. रॉयल कालेज, राजनांदगांव	17
18. शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	18
19. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	19
20. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	20
21. संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	21
22. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	22
23. होलीक्रास बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, पतथलगांव	23
24. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वैकुण्ठपुर	24
25. श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	25
26. समाधान शिक्षा महाविद्यालय वैभतरा	26

उक्त अध्ययन केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

महत्वपूर्ण तूचना -

- ✓ अध्ययन केन्द्र आवंटन/परिवर्तन का सर्वाधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित रहेगा।
- ✓ उपरोक्त उल्लेखित केन्द्र केवल बी.एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के अध्ययन केन्द्र होंगे। परीक्षा केन्द्र की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से प्रदान की जावेगी।

5. कार्यक्रम शुल्क

5.1 बी.एड.

बी.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	27,500.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	27,500.00

5.2 डी.एल.एड.

डी.एल.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं-

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	10,000.00

- उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही गान्धी होगी।

Shri Resham Lal Pradhan
Including AAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

> उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं पाठ्यसामग्री हेतु निर्धारित है तथा अन्य दत्तकाया हेतु आवश्यक सामग्रीयों की व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा।

6. परीक्षा का माध्यम

- > प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश संपर्कात् अध्ययन सामग्री हिन्दी में उपलब्ध होगी। छात्र हिन्दी अध्ययन अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय व सत्रांत परीक्षा दे सकेंगे।
- > कोडिङ-19 के कारण परीक्षा कार्यक्रम निरस्त कर खन्य आधार पर/मेरिट के आधार पर प्रवेश सम्भव हो सकेगा।

7. कार्यक्रम अवधि

बी.एड. व डी.एल.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि पांच वर्ष की होगी अर्थात् प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के पांच वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पांच वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन करा सकता है।

8. पुनः पंजीयन

निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे। पुनः पंजीयन कराने हेतु छात्र को पंजीयन शुल्क रु. 1000/- (रुपयी एक हजार रु. मात्र) के अतिरिक्त पुनः पंजीकृत वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम शुल्क देना होगा। पुनः पंजीकृत छात्र को प्रवेश परीक्षा में समिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। शुल्क का निर्धारण संबंधित वर्ष में लागू

राशि के आधार पर होगा।

9. आरक्षण

बी.एड.एवं डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के हारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा।

10. प्री-बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश के निम्नलिखित 22 जिलों में आयोजित होगी :-

दोनों अध्ययन केन्द्र बिलासपुर	दोनों अध्ययन केन्द्र अभिकापुर	दोनों अध्ययन केन्द्र रायपुर	दोनों अध्ययन केन्द्र जगदलपुर
परीक्षा राह			
बिलासपुर	जशपुर	रायपुर	जगदलपुर
कोटवा	अभिकापुर	महासंमुद	दंतेवाडा
जाओगीर	बैकुण्ठपुर	दुर्ग-मिलाई	काकोर
रायगढ़	सुरजपुर	धमतरी	
कबर्दा		राजनांदगाँव	
मुगेली		बलौदा बाजार	

VERIFIED

*Draft by
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge ISPC Officer
PSSOU, CG Bilaspur
PSSOU, CG Bilaspur*

		वेमेत्रा	
		गरियाबंद	

प्रवेश परीक्षा उपरोक्त शहरों के परीक्षा केन्द्रों में निर्धारित समय पर संचालित की जावेगी। परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र का चयन कर ऑन-लाइन परीक्षा आवेदन में परीक्षा शहर अनिवार्यतः जकित करें। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परीक्षा शहर केन्द्र ही अन्य होगा। परीक्षार्थी सख्त्या पर्याप्ति न होने पर परीक्षा शहर केन्द्र में परिवर्तन करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

11. प्री बी.एड. व प्री-डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

11.1 परीक्षा हेतु आवेदक अपनी पात्रता सम्बन्धी जाँच स्वतः कर अहंता का निर्धारण करें। भावत्र ऑन-लाइन आवेदन करने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवर्जन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा कर काऊसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट - विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच स्वतः करे अथवा अन्य एजेसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

11.2 किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा।

11.3 यह एक प्रतियोगी प्रवेश प्रक्रिया है। अतः किसी प्रकार की विषय सूची प्रदान नहीं की जावेगी। आगामी पृष्ठों में दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर विषय संबंधी पृष्ठभूमि दैयार की जा सकती है।

11.4 प्रवेश परीक्षा का परिणाम या ऐरिट वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर ही निर्धारित तिथि को घोषित किया जायेगा।

12. प्रवेश-पत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व निर्देश -

12.1 किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.pssou.ac.in) पर दर्शित किये जावेंगे। अस्थर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

12.2 परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश-पत्र "Application No." डालकर डाउनलोड कर सकेंगे।

12.3 डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र दो भाग में होगा -

भाग 1 - प्रवेश-पत्र होगा।

भाग 2 - परीक्षा उपरिस्थिति -पत्र होगा। भाग 1 को भाग 2 से काटकर अलग कर लें तथा उपरिस्थिति-पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित भ्यान पर अपनी नवीनतम स्वप्रधारित फोटो चिपकायें एवं हस्ताक्षर करें। भ्यान रखें कि भाग 2 को प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा हाल में वीक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करें अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा में अनुपस्थित गाना जावेगा।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dated /
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria - VII
PSSOU, CG Bilaspur

13. परीक्षा कक्ष में प्रवेश - अन्यथी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें एवं नीला/काला बाल पेन ही उपयोग करें।

13.1 प्रवेश परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होगी। अन्यथा परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अपना स्थान छुहण कर लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट बाद परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. अनुचित साधन - परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अन्यथी सुनिश्चित कर ले कि परीक्षार्थी के पास उसकी सीट पर अथवा सीट के निकट, कोई अवांछनीय सामग्री नहीं है। अनुचित साधनों का प्रयोग में ताना दण्डनीय होगा।

15. लेन्ट्राधिकार - किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ के जाननीय उच्च न्यायालय (बिलासपुर) के लेन्ट्राधिकार तक ही सीमित रहेगा।

16. प्रश्न-पत्र की रूप रेखा

अ) परीक्षा प्रश्न पत्र में दो भाग "अ" और "ब" होंगे। परीक्षण पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में एक अंक होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 100 है। पूरी परीक्षा का कुल समय दो घण्टे 15 मिनट होगा।

ब) प्रवेश परीक्षा का स्तर - प्री-बी.एड, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे तथा प्री-डी.एल.एड के प्रश्न $10+2$ के स्तर के होंगे।

स) परीक्षा पद्धति - परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके दो भाग होंगे। संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार समावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूर्ण गोला बनाकर अंकित करने पर एक अंक, गलत उत्तर अथवा एक रो अधिक उत्तर अथवा सही उत्तर पर भी अपूर्ण गोला अंकित करने पर शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।

भाग ब में विषयगत सक्षमता के तीन विषयों (विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान) में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है, एक से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य (Disqualified) घोषित किया जायेगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे। परीक्षा की अवधि 2:15 घंटे की होगी, जिसमें परीक्षार्थी को दोनों भाग के प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एप.आर. उत्तर शीट में बाल पेन से काला/नीला करना होगा।

प्री-बी.एड, एवं प्री-डी.एल.एड, टेतु - प्रश्न पत्र का प्रथम भाग - सामान्य मानरिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान

प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग - विषयगत सक्षमता।

Part A (भाग अ)				Time(भव्य)
Part	Subject	No. of Question	Marks	
भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	
Section 1 (छान्ड 1)	General Hindi Comprehension (सामान्य हिन्दी विषय)	10	10	
Section 2 (छान्ड 2)	General English Comprehension (सामान्य अंग्रेजी विषय)	10	10	
Section 3 (छान्ड 3)	Logical & Analytical Reasoning (तार्किक एवं विस्तृतात्मक विषय)	20	20	02:15 घण्टे
Section 4 (छान्ड 4)	Educational & General Awareness (शैक्षिक एवं सामान्य विषय)	20	20	
Section 5 (छान्ड 5)	Teaching Learning & The School (शिक्षण-अधिकार एवं शिक्षात्मक)	20	20	

VERIFIED

Draft
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge IASAC Criterion
PSSOU, CG Bilaspur

Part B भाग B		
Subject Competence (Any one) (कोई एक)(बोहे एक में 20 अंक)		
Section VI (चर्चा ६)	विषयगत सक्षमता (कोई एक)	(कोई एक में 20 अंक)
	(i) Science विज्ञान अध्ययन	20
	(ii) Mathematics गणित अध्ययन	20
	(iii) Social Sciences सामाजिक विज्ञान	20

नोट :- माप व से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको असौम्य घोषित किया जायेगा।

Note: Only one subject is to be attempted from Part B of question paper attempting more than one subject will render you disqualified.

प्री.बी.एड. प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्री-बी.एड. में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र की अभिलक्षि पर आधारित होगा।

प्री. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर डी.एल.एड. में मैट्रिक स्तर / 10+2 स्तर तक के प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. नीचे दिये गये पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित) का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र के अभिलक्षि पर आधारित होगा।

सामान्य हिन्दी बोध

- a. व्याकरण— भानक भाषा: स्वरूप और लक्षण, संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग। स्वास-रचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध कारक— कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरणिक अशुद्धियाँ।
- b. शब्द बोध — शब्द — रचना, उपसर्ग, पृथ्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रमादशब्द— प्रकार तत्सम, तदगत, देशज विदेशी, सकर, नपनिर्मित, शब्दार्थ— पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म अशुद्धि संशोधन,—उच्चारणागत, शब्द व शब्दार्थगत।

General English Comprehension

1) Parts of Speech :-

- a) Countable, Non-Countable Nouns
- b) Pronouns-Relative, Possessive
- c) Adjective (Attributive Use)
- d) As+Ad+As
- e) Adverbs (End Position)

Draft
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Committee
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

[Signature]

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

- f) Preposition (in, on, at) for Time and Place
- 2) Simple Sentences :-
- Imperative Sentences
 - Simple Sentences
 - Infinitive
 - Present Participle, Past Participle
 - Gender
- 3) Change of Sentence Combination - (Compound Sentences) (And, But)
- 4) Determiners - Some, any, little, a little, few, a few
- 5) Tense - Present progressive, Present Simple, Past Simple, Use of Going to for future Time
- 6) If Clause (first Condition) If you work hard, you will pass
- 7) Question Framing - Wh-Question, Yes/No Type Question
- 8) Articles - A, An, The
- 9) Change of Voice (Simple Present and Past Tense with Agent)
- 10) Simple Preposition (in, on, at, showing time and place)
- 11) Narration Simple Sentence (Present, Past and Future Tense)
- 12) One word substitution, Spellings, Opposite words (Prefixes-un, dis,in). Suffixes
- 13) Modals : Can (Showing Capability), May (Seeking Permission), Should (Giving Advice) Would (showing possibility)

तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विन्तन

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं—तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं— विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और यित्रों द्वारा संबंध देखन, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चिन्ह, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, यित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि— आदि।

शैक्षिक एवं सामान्य चेतना

इस प्रश्न में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय मारत एवं छातीसगढ़ तक रीमिट रहेंगे।

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. मारतीय इतिहास | : मारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, मारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता। |
| 2. नागरिक शास्त्र/राजनीतिक | : मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसंग्रह, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। |
| 3. अर्थशास्त्र | : सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि |

VERIFIED

4. भूगोल
5. सामान्य विज्ञान
6. खेल और शिक्षा, योगशिक्षा:
- ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
- प्राकृतिक संसाधान, पर्यावरण चेतना, बनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिटटी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उसकी भौगोलिक रिस्ति।
- विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, चेतना एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान।
- भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीति, शैक्षिक तकनीक समीक्षा, औपचारिकेतर मूल्य शिक्षा। शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोकव्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय

शैक्षणिक अभिरुचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं— बच्चों के प्रति अभियूति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएँ, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

17. पूर्नगणना/पूर्नमूल्यांकन — विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के उत्तर शीटों (ओ.एम.आर) का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है अतः पूर्नगणना/पूर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।
18. भ्रेणी — छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम एवं डी.एड./डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
19. सर्वर्ग — छत्तीसगढ़ बी.एड. व डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर सर्वर्ग से तात्पर्य है, महिला, निःशक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मूतपूर्व सैनिक। सर्वर्ग में आरक्षण व्यापम के मानकों के अनुसार मात्य होगा।
20. बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम से प्रवेश हेतु शीटों का आरक्षण — छत्तीसगढ़ बी.एड. व डी.एल.एड. प्रवेश नियम 2006 के आधार पर बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा स्लैटिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणीयाँ होगी तथा स्लैटिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।
- (क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निमानुसार होगा—
- (एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत।
- (दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत।
- (तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।
- रपष्टीकरण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणीयों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए उ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणीयों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में रामय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) स्लैटिज आरक्षण अथवा संवर्ग आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणीयों की शीटों पर समान रूप से होगा। स्लैटिज आरक्षण निमानुसार होगा —

*Shri Resham J. Patel
Incharge
PSSC, Bilaspur*

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

- (एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-सागर पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत— इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अधिकार उनको पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत— इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत। (जो कि हर वर्ग की वयन सूची में समाहित होगा)
21. प्रावीण्य सूची -- प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियों तैयार की जाएगी। पूर्वतः अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जायेगा।
22. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश - आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
23. रिक्त सीटों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश - किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा।
- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटे अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटे अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटे पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएगी।
- (ड) सभी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटे अनारक्षित की जायेगी।
24. काउंसिलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के सिए बी.एड.एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के प्रशिदाण हेतु 10 दिवसीय सम्पर्क कक्षा में माग तेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की सम्पर्क कक्षाओं/कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति बी.एड. हेतु 80 प्रतिशत एवं डी.एल.एड. हेतु 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा छात्र सत्रांत परीक्षा में बैठने की प्रतीत खो देंगे।
25. काउंसिलिंग में चयनित छात्रों को संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् अध्ययन-सामग्री दी जाती है। छात्र अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् उसका गहन अध्ययन करें तथा सम्पर्क कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत सुनिश्चित करें।
26. सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान अंतिम तीन दिवस में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से राम्भित अधिकतम 30 अंकों की सत्रीय कार्य प्रवैशित अध्ययन केन्द्रों में जमा ली जायेगी जिसमें निधारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र उस विषय की सत्रांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय की

अभ्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

- > बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- > डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- > अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. शीट में अपने वर्ग अथवा संवर्ग का उल्लेख नहीं किया है तो उसे अनारक्षित ही माना जायेगा।
- > किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अगर ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख व प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में किये गये उल्लेख में अंतर पाया गया तो उस स्थिति में वि.वि. प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यह भी कि ओ.एम.आर. में वर्ग या संवर्ग में प्रदर्शित में त्रुटि हो जाने पर अभ्यर्थी इसकी सूचना तत्काल ही विश्वविद्यालय को देगा। परिणाम निकलने के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- > सभी वर्ग में महिला संवर्ग के तहत चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन मेरिट कम में न होकर महिला संवर्ग के तहत हुआ हो और उस वर्ग में महिला संवर्ग की सीट पूर्ण हो गई हो तो महिला के रथान पर अधिक प्राप्तांक वाले पुरुषों का चयन मेरिट कम से किया जावेगा।
- > अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रभाप पत्र प्रतुत करना अनिवार्य होगा।
- > वर्ग (Category) से तात्पर्य है - अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।
- > संवर्ग (Class) से तात्पर्य है - महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter or FF), गूतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S)
- > चांस/प्रतिक्षा से तात्पर्य है - उन अभ्यार्थियों से हैं जो कि जब मेरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाता है तब उनके रिक्त क्षमता के कारण अनुसार अभ्यार्थियों का स्थान पर मेरिट में चयनित अभ्यार्थियों के क्षम से नीचे के क्षम अनुसार अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नहीं हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है।

Brophy

VERIFIED

घयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही बांस हेतु अभ्यार्थियों का घयन परिट क्रम से होगा।

- > जिन अभ्यार्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु. 1100/- (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यार्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यार्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेवे)

Drohky
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge - PG Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

VERIFIED

[Signature]
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University of Jammu, Jammu & Kashmir
Urdu Department (U.G.)
Bilaspur (C.G.)